रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072021-228090
CG-DL-E-02072021-228090

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 2, 2021/आषाढ़ 11, 1943
No. 270] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 2, 2021/ASHADHA 11, 1943

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2021

सी-603/ लक्षद्वीप पीसीसी/ विधि-2021.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974 (1974 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4, खंड (4) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं. 14) की धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एतदद्वारा उस समिति का पुनर्गठन करता है, जिसका गठन संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के संबंध में दिनांक 23.03.2006 के संख्या विधि/156(4)1990 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है । पुनर्गठित समिति निम्नवत है:-

1. माननीय प्रशासक के सलाहकार/सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप - अध्यक्ष
2. सचिव (पर्यावरण एवं वन)/वन संरक्षक, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप - सदस्य
3. निदेशक, उद्योग (सचिव के प्रतिनिधि, उद्योग), संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप - सदस्य
4. अधीक्षण अभियंता, लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग (सचिव के प्रतिनिधि, निर्माण),
   संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप - सदस्य
5. निदेशक, बंदरगाह, नौवहन और विमानन (सचिव के प्रतिनिधि, नौवहन), संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप - सदस्य

6. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ (सचिव के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवाएँ), संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप - सदस्य

7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप - सदस्य

8. चिकित्सा अधीक्षक, इन्दिरा गाँधी अस्पताल, कवारत्ती, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप - सदस्य

9. निदेशक/वैज्ञानिक, दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बेंगलुरु - सदस्य

10. श्री अनस अब्दुलअजीज, प्रधान वैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, कोच्चि - सदस्य

11. डॉ. पी.वी. राधाकृष्णन, वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम निदेशक, पर्यावरण एवं विकास केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल - सदस्य

12. सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके प्रतिनिधि - सदस्य

13. प्रबंध निदेशक, लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड - सदस्य

14. निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप - सदस्य सचिव

और,

(i) इस समिति को लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति कहा जाएगा।

(ii) संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के अध्यक्ष और सदस्य सचिव का नामांकन अध्यक्ष और सदस्य सचिव के पद की स्वीकृति तक होगा।

(iii) यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(iv) भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एस.ओ. 842 (ई), दिनांक 31.08.1988 और विधि/156(4), 1990, दिनांक 23.03.2006 को विखंडित किया जाता है ।

नरेश पाल गंगवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./135/2021-22]

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2021

C-603/Lakshdweep PCC/Legal-2021- In exercise of the powers conferred by Section 4, clause (4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and Section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981), the Central Pollution Control Board hereby reconstitutes the Committee as specified by the Central Government whose constitution was notified by a Notification published in the Gazette of India vide F. No. Legal/156(4) 1990 dated 23.03.2006 in respect of the Union Territory (UT) of Lakshadweep. The reconstitution of the Committee is as follows:

1. Advisor to the Hon'ble Administrator/Secretary, Science & Technology, UT of Lakshwadeep - Chairman

2. Secretary (Environment & Forest)/ Conservator of Forest, UT of Lakshwadeep - Member

3.	Director, Industries (Representative of Secretary, Industries), UT of Lakshwadeep	- Member
4.	Superintending Engineer, Lakshadweep Public Works Department (Representative of Secretary, Works), UT of Lakshwadeep	- Member
5.	Director, Port, Shipping & Aviation (Representative of Secretary, Shipping), UT of Lakshwadee	- Member
6.	Director, Health Services (Representative of Secretary, Health Services), UT of Lakshwadeep	- Member
7.	Chief Executive Officer, District Panchayat, UT of Lakshwadeep	- Member
8.	Medical Superintendent, Indira Gandhi Hospital, Kavaratti, UT of Lakshwadeep	- Member
9.	Director/ Scientist, Southern Regional Office, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Bengaluru	- Member
10.	Shri Anas Abdulaziz, Principal Scientist, Council of Scientific & Industrial Research-National Institute of Oceanography, Kochi	- Member
11.	Dr. P. V. Radhakrishnan, Scientist and Program Director, Centre for Environment & Development, Thiruvananthapuram, Kerala	- Member
12.	Member Secretary, Central Pollution Control Board or his/ her representative	- Member
13.	Managing Director, Lakshadweep Development Corporation Ltd.	- Member
14.	Director, Science and Technology, UT of Lakshwadeep	- Member Secretary

And,

(i) This Committee may be called as Lakshadweep Pollution Control Committee.

(ii) The nomination of Chairman and Member Secretary of UT of Lakshwadeep shall be period of sanction of the Post of Chairman and Member Secretary.

(iii) The Notification shall come into force with immediate effect.

(iv) The Notification published in the Gazette of India vide S.O. 842 (E), dated 31.08.1988 and Legal/156(4) 1990, dated 23.03.2006 stands rescinded.

NARESH PAL GANGWAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./135/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.02 22:36:06 +05'30'